

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

**आदेश**

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंभानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को (ग्रुप-एफ) प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष वर्ष 2004-05 की रिक्तियों के विरुद्ध वेतन श्रृंखला (7500-12000) में वरिष्ठता-सह-योग्यता से चयनित किये जाने के फलस्वरूप पदोन्नत कर सम्बन्धित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यभार सम्भालने की तिथि से प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष पद पर पदोन्नत किया जाता है।

९.३१ 2004-05  
M


**प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष 2004-05**

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	वर्ष	नाम	वर्ग	जन्मतिथि
1	842	71-74	नात्थो लाल वर्मा		21/12/1946
2	1164	71-74	मदन लाल		05/08/1950
3	1733	A-III 71-74	रामावतार सैनी		01/01/1948
4	1733	B 71-74	राजेन्द्र प्रसाद सैनी		31/07/1950
5	1739	A 71-74	रामबाबू पाण्डे		15/07/1945
6	1751	71-74	देवेन्द्र नाथ		29/07/1950
7	1772	A 71-74	संग्राम सिंह		25/04/1952
8	1792	A 71-74	श्याम सुन्दर		13/11/1948
9	1032	I 74-78	जगदीश प्रसाद वर्मा		06/06/1947
10	1696	74-78	सुरेन्द्र कुमार		11/04/1948
8-8/1	11 1383	74-78	सदानन्द यादव		17/01/1953
"	12 1418	74-78	नवरंग राम		20/11/1953
"	13 1507	74-78	नरेन्द्र कुमार पाटीदार		12/11/1949
"	14 1512	74-78	दीनेश चन्द्र पुरोहित		14/12/1953
"	15 1522	74-78	मागी लाल तलेसरा		14/02/1952
"	16 1524	74-78	गोवर्धन नाथ चौहान		13/09/1956
"	17 1527	74-78	जगदीश चन्द्र बांगड़		12/06/1954
"	18 1529	74-78	जगदीश चन्द्र मंडोवरा		08/10/1945
"	19 1532	74-78	तेज प्रकाश शर्मा		17/11/1955
"	20 1537	74-78	घनद सैन धनावत		25/11/1951
"	21 1539	74-78	बुद्धी प्रकाश		03/09/1949

7881  
v

क्रम	वरिष्ठता क्रमांक	वर्ष	नाम	वर्ग	जन्मतिथि
22	1544	74-78	जय लाल धकड़		28/12/1956
23	1549	74-78	औंकार लाल श्रीमाली		12/05/1947


राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 7 (1) कार्मिक/ क-2/ 95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसा कोई भी कार्मिक जिनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान हो, उपर्युक्त चयनित कार्मिक वरिष्ठ अध्यापक पदनाम का पद धारित नहीं करते हो अथवा पदोन्नत पद की नियमानुसार निर्धारित योग्यता (स्नातक डिग्री के साथ बी.एड.) नहीं होने पर पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त में से जो कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के अतिरिक्त कार्यरत लोक सेवक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/बी-III/डीपीसी/प्रधानाध्यापक/04-05 दिनांक- 9.4.13  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 2 प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 3 उप शासन सचिव, कार्मिक(क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 5 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
- 6 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारंभिक) शिक्षा विभाग
- 7 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) I/II, शिक्षा विभाग,
- 8 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/संस्था-सी/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग
- 9 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्मिक
- 10 प्रभारी संस्था-बी-I प्रभाग

  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर